UPUN010032622026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश ई0सी0एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–4 उन्नाव।

जमानत प्रा0पत्र सं0:–**1372/2026**

हस्सान उर्फ कासान उम्र 18 वर्ष पुत्र मो0 जाकिर निवासी मो0 चिकवाई थाना अचलगंज जिला उन्नाव। .....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

सरकार उ0प्र0 द्वारा डी0जी0सी0 क्रिमिनल, उन्नाव।

.....विपक्षी।

मु0अ0सं0–73/2026,
धारा–303(2),317(2),341(1)
बी0एन0एस0,
थाना–अचलगंज,
जिला–उन्नाव।

दिनांक–05.06.2026

1– आवेदक/अभियुक्त हस्सान उर्फ कासान की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र मु0अ0सं0–73/2026, धारा–303(2),317(2),341(1) बी0एन0एस0, थाना–अचलगंज, जिला–उन्नाव के मामले में प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र शपथिनी नगमा का इस आशय का दाखिल किया गया है कि शपथिनी मुकदमा उपरोक्त के अभियुक्त की मॉ है और हालात मुकदमा से बखूबी वाकिफ है तथा पैरोकार मुकदमा है। यह प्रथम प्रार्थना पत्र जमानत दिया गया है। इसके पूर्व अभियुक्त का कोई भी प्रार्थना पत्र जमानत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ एवं श्रीमान जी के न्यायालय में न तो दिया गया है और न ही विचाराधीन है।

2– अभियोजन कथानक के अनुसार वादी देवी शंकर द्वारा यह कहते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि "प्रार्थी देवीशंकर पुत्र रामसुख निवासी पडरीकलॉ थाना अचलगंज उन्नाव का रहने वाला हूॅ। प्रार्थी के नाम स्पेलेण्डर गाड़ी सं0–यू.पी.35ए.वाई.2588 है। प्रार्थी का पुत्र गोलू दिनांक 13.03.2026 को प्रार्थी के नाम जारी स्पेलेण्डर गाड़ी लेकर रात करीब 10 बजे बालेश्वरी मन्दिर मेला निकट पडरीकलॉ गया था। वहॉ पर गाड़ी खड़ी करके अन्दर चला गया था। जब करीब 1 घण्टे बाद वापस आया तो गाड़ी नहीं मिली। प्रार्थी आज तक गाड़ी का पता लगाता रहा लेकिन पता नहीं चला। गाड़ी का चेचिस नम्बर एम. बी.एल.एच.ए.डब्लू.–096के.4एच.10360 है। जो चोरी हो गयी है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी सूचना देने आया है। कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।" उक्त तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज किये जाने की प्रार्थना की।

3– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि, प्रार्थी को झूठा व रंजिशन फंसा दिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज है। प्रथम

सूचना रिपोर्ट में दिन की देरी है। पुलिस द्वारा प्रार्थी को झूठा नाम व फर्जी बरामदगी दिखा दी गई है। घटना से कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी दिनांक 16.03.2026 से जिलाकारागार उन्नाव में निरूद्ध है। प्रार्थी का श्रीमान जी के न्यायालय में यह प्रथम प्रार्थना पत्र जमानत है इसके पूर्व प्रार्थी का कोई भी प्रार्थना पत्र जमानत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ एवं श्रीमान जी के न्यायालय में न तो दिया गया है और न ही खारिज हुआ है और न ही विचाराधीन है। प्रार्थी जमानत पर छूटने के बाद न तो कही भागेगा और न ही गवाहान सबूत पर बेजा असर डालेगा। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा करने का आदेश करने की कृपा करे।

4— विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

5— विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

6— पत्रावली के सम्यक परिशीलन से यह स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 02 दिन के विलम्ब से दर्ज कराई गई है जिसका कोई स्पष्टीकरण अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से जो बरामदगी व गिरफ्तारी दिखायी गयी है, उसका कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। अभियोजन ने इस संबंध में भी कोई कथन नहीं किया कि अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा होने के उपरान्त गवाहों को डराया या धमकाया जा सकता है। यद्यपि अभियोजनपक्ष की ओर से अभियुक्त का आपराधिक इतिहास ही प्रस्तुत किया है, इस संबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा विधि व्यवस्था **सतीश उर्फ काकू बनाम उ0प्र0 राज्य निर्णय दिनांक—05.01.2024** में अवधारित किया गया है कि "यदि अभियुक्त को जमानत का पात्र पाया जाता है तो केवल आपराधिक इतिहास होने के आधार पर उसे जमानत देने से इंकार नहीं किया जा सकता।" प्रस्तुत प्रकरण में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त दिनांक 16.03.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। मामला अवर न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये बिना गुण—दोष पर कोई मत व्यक्त किये आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

आवेकद/अभियुक्त हस्सान उर्फ कासान का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र सं0—1372/2026, मु0अ0सं0—73/2026, धारा—303(2),317(2),341(1) बी0एन0एस0, थाना—अचलगंज, जिला—उन्नाव स्वीकार किया जाता है। सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर अभियुक्त द्वारा मु0—50,000/—(पचास हजार) रूपये की तस्दीकशुदा दो प्रतिभू व

इतनी ही धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र व निम्न शर्तो की एक अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जायेः–

1– अभियुक्त विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

2– अभियुक्त न्यायालय के समक्ष आरोप एवं बयान अन्तर्गत धारा 313 दर्ज किये जाने हेतु नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से अवश्य उपस्थित रहेगा।

3– अभियुक्त उपरोक्त न्यायालय के अनुमति के बिना भारत की सीमाओं से बाहर नहीं जायेगा।

4– अभियुक्त अपना पासपोर्ट न्यायालय में जमा करेगें और यदि उसका पासपोर्ट नहीं है तो इस आशय का शपथ पत्र दाखिल करेगा।

5– अभियुक्त उपरोक्त अभियोजन साक्षीगण को न तो डरायेगा, न धमकायेगा और न ही प्रतिकूलतः प्रभावित करेगा।

6– यह कि अभियुक्त अभियोजन साक्ष्यों से किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।

यह अभियुक्त उपरोक्त द्वारा जमानत की उल्लिखित उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन किया जाता है तो अभियोजन पक्ष को उसकी जमानत निरस्त करने के बाबत आवेदन देने का विकल्प होगा।

प्रभारी विशेष न्यायाधीश ई0सी0एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0 4,
उन्नाव।
05.06.2026